

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष भू-प्रबंध), वन भवन, मध्यप्रदेश, भोपाल
क्रमांक/एफ-5/1215/2023/10-11/105 भोपाल, दिनांक 8-1-25
प्रति,

कार्यपालन यंत्री,
लोक निर्माण विभाग, राष्ट्रीय राजमार्ग संभाग, सागर, मध्यप्रदेश।

विषय:- पन्ना जिले में पन्ना टाइगर रिजर्व के बफर जोन से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 43 गुलगंज-अमानगंज-पवई-कटनी मार्ग के विस्तार/चौड़ीकरण हेतु 31.82 हेक्टेयर वनभूमि (ऑनलाईन आवेदित 31.90 हे.) लोक निर्माण विभाग, राष्ट्रीय राजमार्ग संभाग, सागर को उपयोग पर देने बाबत। (FP/MP/ROAD/121709/2021)

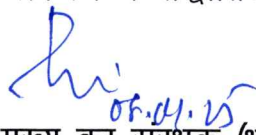
संदर्भ:- भारत सरकार का पत्र क्रमांक/6-MPR 011/2023-BHO/I/90484 दिनांक 18.12.2024.

-----0-----

उपरोक्त संदर्भित पत्र का अवलोकन करें, त्वरित संदर्भ हेतु छायाप्रति संलग्न है। भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भोपाल ने सैद्धांतिक स्वीकृति जारी करने के पूर्व 04 बिन्दुओं पर जानकारी चाही गई है।

अतः भारत सरकार के चाहे अनुसार आपसे संबंधित बिन्दुवार जानकारी तैयार कर पोर्टल में अपलोड कर इस कार्यालय को भिजवायें, ताकि प्रकरण में सैद्धांतिक स्वीकृति प्राप्त करने की कार्यवाही की जा सके।

संलग्न:-उपरोक्तानुसार।


अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध)
मध्यप्रदेश, भोपाल

पृ. क्रमांक/एफ-5/1215/2023/10-11/106

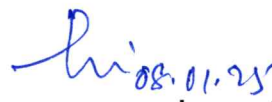
भोपाल, दिनांक 8-1-25

प्रतिलिपि:-

1. क्षेत्र संचालक, पन्ना टाइगर रिजर्व, पन्ना, मध्यप्रदेश।
2. उप संचालक, पन्ना टाइगर रिजर्व, पन्ना, मध्यप्रदेश।

की ओर उपरोक्त संदर्भित पत्र की छायाप्रति सहित संलग्न कर लेख है कि आपसे संबंधित जानकारी तैयार कर एवं आवेदक से संबंधित जानकारी प्राप्त कर अपने अभिमत सहित शीघ्र इस कार्यालय को भिजवायें, ताकि प्रकरण में स्वीकृति प्राप्त करने की कार्यवाही की जा सके।

संलग्न:-उपरोक्तानुसार।


अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध)
मध्यप्रदेश, भोपाल



भारत सरकार / GOVERNMENT OF INDIA
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST & CLIMATE CHANGE
क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल / REGIONAL OFFICE, BHOPAL



Kendriya Paryavaran Bhavan, Link Road No.3, E-5, Ravi Shankar Nagar,
BHOPAL - 462016 (M.P.)

TEL: 0755-2466525 E-mail: rowz.bpl-mef@nic.in

क्रमांक: 6-एमपीआर 011/2023-बीएचओ/I/90484

दिनांक : 18 /12/2024

प्रति,

प्रधान सचिव (वन)

मध्यप्रदेश शासन,

वल्लभ भवन, भोपाल (मध्यप्रदेश)।

विषय: पन्ना जिले में टाइगर रिजर्व के बफर जोन से गुजरने वाले राष्ट्रीय क्रमांक-43 गुलगंज-अमानगंज-पवई-कटनी मार्ग के निर्माण 2 चौड़ीकरण हेतु 44.05 हेक्टेयर (earlier proposed 31.90 ha) संरक्षित वनभूमि कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग, राष्ट्रीय राजमार्ग संभाग को उपयोग पर देने बाबत (FP/MP/ROAD/121709/2021)।

संदर्भ: 1. नोडल अधिकारी, मध्यप्रदेश का पत्रांक एफ-5/1215/2023/10-11/5531 दिनांक 11/11/24.

2. आर.ई.सी. कार्यवृत्त क्र. 6-REC10/2014-BHO/Part-III/343 दिनांक 10/12/2024.

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्रों के संबंध में अधोहस्ताक्षरी को यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि प्रस्ताव से संबंधित आर.ई.सी. बैठक दिनांक 30/11/2024 को आयोजित की गयी। बैठक में लिये गये निर्णय एवं कार्यवृत्त दिनांक 10/12/2024 (संदर्भित पत्र-2) अनुसार अन्य वांछित जानकारी/स्पष्टीकरण की आवश्यकता है जो कि निम्नलिखित है:-

1. The State Govt. to provide a copy of the necessary approval taken under the provisions of Wildlife (Protection) Act, 1972 for the above project.
2. In the DSS analysis Khasra No. 80, 94/2, 72/2 proposed for raising compensatory afforestation appears to be falling inside the forest boundary of Panna Tiger Reserve. The DFO shall review the above Khasra(s) and provide a certificate to the effect that the above Khasra (s) are in Revenue land.
3. It also needs to be ensured that the area proposed for CA is not under category of "Chhote Bade Jhaad ka jungle (Revenue Forest land).
4. The User Agency and the State Government shall upload the necessary corrections i.e. 44.05 to the web portal.

उपरोक्त जानकारी प्राप्त होने के पश्चात ही प्रस्ताव में आगामी कार्यवाही की जायेगी।

Signed by Yogesh Gairola

Date: 18-12-2024 10:28:53

(डॉ. योगेश गैरोला)

तकनीकी अधिकारी (वानिकी)

प्रतिलिपि:

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) एवं नोडल अधिकारी, वन विभाग, वन भवन, तुलसीनगर, भोपाल।